बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल

63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 08.09.2018 को प्रकाशित किया गया था एवं अतिरिक्त परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक 18.09.2018 को किया गया था।

परीक्षाफल प्रकाशन के बाद परीक्षा में सम्मिलित एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 131783 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी श्रेणी के आरक्षण का दावा करते हुए सफल घोषित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या – 20718/2018 (हरेराम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2019 को अन्तरिम न्यायादेश पारित करते हुए उक्त उम्मीदवार को दिनांक 12.01.2019 से शुरू होनेवाली 63वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करने का निदेश दिया है।

उक्त उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 131783 द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाईन आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी श्रेणी के आरक्षण का दावा किया गया था, परन्तु बिहार के अधिवासी होने का दावा नहीं किया गया था एवं स्थायी पता के राज्य में झारखंड भरा गया था, जिसके कारण आयोग द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी का लाभ नहीं दिया गया था। प्रारम्भिक परीक्षा में उक्त उम्मीदवार को 90 अंक प्राप्त हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी श्रेणी का कट–ऑफ अंक – 81 है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या – 20718/2018 (हरेराम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 11.01.2019 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में अनुक्रमांक – 131783 को 63वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित करते हुए 63वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।

उक्त वाद में पारित होनेवाले अंतिम न्यायादेश से यह परीक्षाफल प्रभावित होगा।

12.1.19

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना